



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2017/पौष 30, 1938

No. 199]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2017/PAUSA 30, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2017

का.आ. 221(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार का.आ. सं. 2120(अ), दिनांक 15 जून, 2016 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित प्रतिस्थापन करती है।

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 33 और 34 के सामने “इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार की मान्यता प्राप्त चिकित्सा व्यावसायियों के संगठनों के परामर्श से धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (छ) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त” शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की गई हैं, नामतः-

क्रम सं. 33 – डॉ. सरबरी दत्ता

क्रम सं. 34 – डॉ. आनन्द टी. गुडिवाडा

[फा. सं. यू-16012/02/2010-सा.सु.- I (संग्रह-2)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2017

S.O. 221(E).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following substitutions in the Ministry of Labour & Employment Notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* S.O. No. 2120(E), dated 15th June, 2016.

In the said Notification, under the heading “Appointed by the Central Government under clause (g) of Sub-section (1) of the Section 10 in consultation with organizations of Medical Practitioners recognized by the Central Government for the purpose”, against S. No. 33 and 34, the following entries shall be substituted namely:—

S. No. 33- Dr. Sarbari Dutta

S. No. 34- Dr. Anand T. Gudivada

[F. No. U-16012/02/2010-SS-I(Vol-2)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.